

न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी- श्री इन्द्र सिंह राव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या- 21/2018

बउनवान

गंगासागर आयु 66 साल पुत्र श्री रामनारायण माली निवासी ग्राम भटवाडा
तहसील-मोंगरोल, जिला-बारां (अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार, मोंगरोल

(रेस्पोंडेंट)

अपील धारा-75 भू राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति :-1. श्री अशोक प्रधान, अभिभाषक
2. परोकार सरकार

(अपीलांट)
(रेस्पोंडेंट)



निर्णय दिनांक- 04.02.2019

1- अपीलांट ने जयें अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, मोंगरोल के आदेश दिनांक 25.01.2018 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा-75 भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम-भटवाडा, तहसील-मोंगरोल की आराजी खसरा नम्बर 960/1703 रकबा 0.10 हैक्टर किस्म चारागाह पर अतिक्रमी मानकर बेदखली, 160/- रुपये अर्थदण्ड एवं 90 दिन के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

अपील में लिखा है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेही का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया है। मात्र हल्का पटवारी की झूठी रिपोर्ट के आधार पर सजायाब किया है। अपीलांट का उक्त आराजी पर कोई कब्जा काश्त नहीं है तथा तावान राशि भी जमा करावा दी है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विरुद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा पारित आदेश दिनांक निरस्त करमाया जावे।



इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जयें सम्मन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख

पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व परोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों

द्वारा विवेकपूर्वक सुनवाई के लिए विवेकपूर्वक सुनवाई किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को नोटिस की

बिना सुनवाई व

सत्यमेव जयते

प्रोपर तामील

Web Copy - Not Official

जवाबदेही का अवसर दिये, अनुपस्थिति में निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी पर अपीलांट का वर्तमान में कोई अतिक्रमण नहीं है, कब्जा पूर्व से छोड़ रखा है तथा भविष्य में उक्त आराजी पर कभी भी अतिचार नहीं करने के लिये वचनबद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना मौका व कब्जे की जाँच किये, हल्का पटवारी की रिपोर्ट को विश्वसनीय मानकर, निर्णय पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 25.01.2016 निरस्त फरमाया जावे।

4- इसके विपरीत परोकार सरकार ने अपीलांट अभिभाषक के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को प्रश्नगत आराजी पर पूर्व में अतिक्रमण करने पर मिसल नम्बर 65/17 निर्णय दिनांक 24.3.2017 से बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

5- हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व परोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित किया है। किन्तु बहस के दौरान अभिभाषक अपीलांट का कथन रहा है कि उसने उक्त आराजी से कब्जा छोड़ दिया है तथा भविष्य में उक्त आराजी पर कभी अतिचार नहीं करेगा। ऐसी स्थिति में अपीलांट के प्रति सहानुभूति व नरमी का रूख अपनाते हुये सशर्त सजा माफ किया जाना उचित समझते हैं।

6- परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, मॉंगरोल द्वारा निर्णय दिनांक 25.01.2018 से पारित बेदखली एवं शास्ति के दण्ड को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 46/18 में पारित निर्णय दिनांक 25.1.2018 से दी गई सिविल कारावास की सजा इस शर्त पर माफ की जाती है कि अपीलांट विवादित आराजी से कब्जा छोड़ दें तथा तहसीलदार, मॉंगरोल के समक्ष दो माह में उपस्थित होकर अण्डरटेंकिंग पेश कर दे कि उक्त आराजी पर भविष्य में अतिचार नहीं करेंगे तथा तहसीलदार, मॉंगरोल कब्जा छोड़ने से सन्तुष्ट हो जावे तो अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, मॉंगरोल द्वारा निर्णय दिनांक 25.01.2018 से दी गयी सिविल कारावास की सजा माफ की जाती है, अन्यथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, मॉंगरोल का उक्त निर्णय यथावत रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 04.02.2019 को सर इजलास में पारित जाकर सुनाया गया।

